**संख्या-6/2015/2-ई.एम./2009-का-4-2015**

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 21 जुलाई, 2015

विषयः- सेवा संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण किये जाने के संबंध में, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24.05.2012, दिनांक 07.01.2013, दिनांक 19.08.2013 एवं दिनांक 21.10.2013 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, उनकी समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण कराया जाये। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर इनकी समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. पूर्व में जारी उपरोक्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है:-

(क) विभिन्न संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इन्हें लम्बे समय तक लम्बित रखना स्वस्थ कार्मिक नीति के अनुकूल नहीं है। विभिन्न स्तरों पर संवाद बनाये रखना भी आवश्यक है, जिससे कि समस्याओं/कठिनाईयों का प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारण कर दिया जाये। सेवा संवर्ग की समस्याओं/कठिनाईयों, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर या विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका उसी स्तर पर त्वरित निस्तारण कर दिया जाये, जिससे कि संबंधित समस्या उच्च स्तर पर प्रस्तुत न हो। कतिपय ऐसी समस्यायें/मांगें हो सकती हैं, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर नहीं हो सकता है तभी इन्हें शासन स्तर पर संदर्भित किया जायेगा।

(ख) जनपद स्तर पर संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग से संबंधित सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की जायेगी, जिसमें सेवा संवर्ग से संबंधित समस्याओं/कठिनाईयों पर चर्चा/विचार-विमर्श करते हुए इनमें से स्थानीय स्तर पर जिनका निस्तारण संभव पाया जायेगा, उसका निस्तारण किया जायेगा। कृत कार्यवाही का विवरण संबंधित जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। उक्त के अतिरिक्त संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को भी सेवा संवर्ग समस्याओं तथा इसके निस्तारण की दिशा में की गयी

http://srcgonadesh.up.nic.in

कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों, जिनका निराकरण जनपद/मण्डल स्तर पर संभव न हो, से संबंधित प्रकरण सक्षम स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।

(ग) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा इस बात की नियमित समीक्षा की जायेगी कि उक्त प्रस्तर-2(ख) के अनुसार त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर सेवा संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण की दिशा में संबंधित जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। यदि जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त यह महसूस करते हैं कि संबंधित विभाग के जनपद/मण्डलीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो वह अपने स्तर पर समुचित कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के संज्ञान में तथ्य लायेंगे। ऐसे प्रकरण, जिनमें जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त यह महसूस करते हैं कि समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण में उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा अपने स्तर पर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग के प्रदेश स्तरीय सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी तथा उनकी प्रदेश स्तरीय समस्याओं/कठिनाईयों अथवा ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों, जो जनपद/मण्डल स्तर पर निस्तारित नहीं हो पायी हैं, उनका निराकरण किया जायेगा तथा अनिस्तारित समस्याओं व कठिनाईयों के निराकरण हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(च) ऐसी समस्यों/कठिनाईयां, जिनका शासन स्तर पर ही निराकरण सम्भव हो, इन्हें संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को संदर्भित किया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग के प्रदेश स्तरीय सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों, जिनका निराकरण शासन स्तर पर ही सम्भव है, का निराकरण किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष स्तर पर तथा जनपद/मण्डल स्तर पर कार्मिकों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में की गयी कार्यवाही की भी त्रैमास में कम से कम एक बार समीक्षा करेंगे।

(छ) कतिपय ऐसी समस्यायें/कठिनाईयां हो सकती हैं, जिनका निराकरण प्रशासनिक विभाग के लिये सम्भव न हो, ऐसी समस्यायें यथावश्यक कार्मिक विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त विभाग या अन्य संबंधित विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी। इन विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ज) वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जायेगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा कर्मियों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के बारे में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है अथवा नहीं। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभाग से संबंधित सेवा संगठनों की समस्याओं के निराकरण पर संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है अथवा उपरोक्तानुसार सेवा संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं/ कठिनाईयों के निराकरण के लिए प्रयास नहीं किया गया है,

http://Shasanadesh.up.nic.in

तो इसे प्रतिकूल मानते हुए इसका तथ्यात्मक उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में किया जायेगा।

**3. सेवा संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण किये जाने के संबंध में उक्त प्रस्तर-2 पर उल्लिखित बैठकों की प्रथम बैठक 15 अगस्त, 2015 के पूर्व अवश्य कर ली जाये। उक्त प्रस्तर-2(च) के अनुसार आयोजित बैठक का कार्यवृत्त प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।**

4. संक्षेप में, मै यह कहना चाहूंगा कि सेवा संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के संबंध में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए, उनके निराकरण के संबंध में प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जायें। यह प्रयास भी किये जायें कि ऐसी समस्यायें/कठिनाईयां, जो जिले स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर, जिन समस्याओं/कठिनाईयों का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो सकता है, उनका निस्तारण मण्डल स्तर पर तथा जिन समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका निस्तारण विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाये। ऐसी समस्यों/कठिनाईयां, जिनका विभागाध्यक्ष के स्तर पर निराकरण न हो सके, का निराकरण संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर किया जाये।

5. हम सभी का यह प्रयास हो कि सेवा संवर्गों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होता रहे, जिससे कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों में सरकारी कर्मियों का पूरा योगदान लिया जाये तथा हमारी नीति ऐसी हो कि इनका मनोबल ऊंचा रहे।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in